

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/4127 /

जबलपुर, दिनांक 22/6/2018

श्रीमती ममता दास, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23.02.18 से 25.02.18 तक 3 दिवस बिना सूचना आवेदन पत्र के अपने कर्तव्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण एवं उक्त तिथियों में कराये गये ईलाज से कोई चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उक्त 3 दिवस को अवैतनिक किया जाता है साथ ही इस चेतावनी के साथ दिनांक 09.03.18 से 06.05.18 तक 59 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में कार्यालय द्वारा जारी किये गये नोटिस में दिये गये निर्देशों का पालन आवश्यक रूप करेंगे।

सही / -

(सतीश चन्द्र राय)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/4128 /

जबलपुर, दिनांक 22/6/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. सहायक वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर को इस निर्देश के साथ कि अवैतनिक अवधि का वेतन कटोत्रा कर शेष अवधि का वेतन भुगतान किया जावे,
6. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
7. श्रीमती ममता दास, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)